

OK

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर
(जी-3, राजमहल रेजीडेन्शियल ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)


क्रमांक : प.1(क)()कार्मिक/आर.एम.एस./डी.एल.बी/01/15326 दिनांक : 9-11-16

आदेश

श्री भंवर लाल सोनी, कर निर्धारक की विभाग के आदेश क्रमांक 11507 दिनांक 23.10.15 के द्वारा वर्ष 2007-08 की रिक्तियों में दिनांक 01.04.2007 से पदोन्नति अधिशाषी अधिकारी-तृतीय के पद पर की जाकर दिनांक 01.04.2008 से स्थाई किया गया है। उक्त आदेश में पदोन्नति का लाभ केवल नोशनल (परिकल्पित) आधार पर किये जाने तथा पूर्व का कोई एरियर नहीं दिये जाने का उल्लेख भी किया है। इन आदेशों की पालना में श्री भंवर लाल सोनी द्वारा दिनांक 23.10.15 को मध्याह्न पश्चात् अधिशाषी अधिकारी-तृतीय के पद पर उपस्थिति दी है।

तत्समय अधिशाषी अधिकारी-तृतीय का रनिंग पे-बैण्ड 9300-34800 एवं ग्रेड-पे 4200 था, जिसे विभागीय अधिसूचना दिनांक 24.03.2011 द्वारा रनिंग पे-बैण्ड 9300-34800 एवं ग्रेड-पे 4800 एवं दिनांक 01.07.2013 से रनिंग पे-बैण्ड 15600-39100 एवं ग्रेड-पे 5400 कर दिया है। श्री भंवर लाल सोनी को पूर्व में दो चयनित वेतनमान का लाभ मिल जाने के कारण पदोन्नति पर कोई अतिरिक्त लाभ देय नहीं होगा।


श्री भंवर लाल सोनी की सेवापुस्तिका के अनुसार इनका दिनांक 01.07.15 को मूल वेतन राशि रुपये 34870/- (15600-39100 एवं ग्रेड-पे 5400) था। इनकी दिनांक 01.07.2016 को 3 प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करते हुये इनका मूल वेतन राशि रुपये 35920/- (15600-39100 एवं ग्रेड-पे 5400) होगा।


(एम0 पी0 मीना)
अतिरिक्त निदेशक

क्रमांक:प.1(क)()कार्मिक/आर.एम.एस./डी.एल.बी/13/15327-33) दिनांक : 9-11-16

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
02. सभापति/आयुक्त, नगर परिषद, सीकर।
03. श्री भंवर लाल सोनी, अधिशाषी अधिकारी-तृतीय हाल आयुक्त, नगर परिषद, सीकर।
04. सुरक्षित पत्रावली।


(एम0 पी0 मीना)
अतिरिक्त निदेशक